

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं.- म०म०-०१ / मंत्रिपरिषद्-०५ / २०१६ / ३१ / पटना-१५, दिनांक - १४।३।२०१६

— संकल्प —

विषय— जन शिकायत कोषांग से संबद्ध सभी स्तरों के सूजित पदों (कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत जन शिकायत कोषांग को समिलित किये जाने के फलस्वरूप एवं राज्य के आम जनों के शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु वर्तमान में अधिनियमित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा १३ (१) के अन्तर्गत गठित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम २१ के अन्तर्गत कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व भी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दिया गया है।

2. आम जनों से जुड़े जन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य स्तर पर बेहतर अनुश्रवण हेतु किसी एक विभाग के अन्तर्गत ही अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि आम जनों से प्राप्त शिकायतों का प्रभावी रूप से अनुश्रवण कर निवारण किया जा सके।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपशान्त पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभागान्तर्गत कार्यरत जन शिकायत कोषांग से संबद्ध सभी स्तरों के सूजित पदों (कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है ताकि राज्य स्तर के सभी जन शिकायतों का अनुश्रवण एवं निवारण एक ही विभाग के द्वारा किया जा सके।

4. यह आदेश तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आदेश :- इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/112
(ब्रजेश मेहरोत्रा) १७।३।१६

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - म०म०-०१ / मंत्रिपरिषद्-०५ / २०१६ / ३१ / दिनांक - १४।३।२०१६

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी माननीय मंत्रिगण के आप सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/112
(ब्रजेश मेहरोत्रा) १७।३।१६

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - म०म०-०१ / मंत्रिपरिषद्-०५ / २०१६ / ३१ / दिनांक - १४।३।२०१६

प्रतिलिपि - अवर सचिव, (ई० गजट शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

9/112
(ब्रजेश मेहरोत्रा) १७।३।१६

सरकार के प्रधान सचिव